

संख्या-75/2025/1066/सत्तर-4-2025-70-4099/63/2025

प्रेषक,

निधि श्रीवास्तव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 09 अक्टूबर, 2025

विषय:-विश्वविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक/शिक्षणोत्तर पदों के सम्बन्ध में मानक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-214/70-4/2000-7(7)/94, दिनांक 04 फरवरी, 2000 द्वारा विश्वविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक/शिक्षणोत्तर पदों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के संविदा शिक्षकों द्वारा वेतन भुगतान व अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में योजित रिट याचिका संख्या-729 (एस0बी0)/2012 डा0 सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा दिनांक 01.03.2013 को पारित आदेशों के समादार में उक्त शासनादेश दिनांक 04.02.2000 में शासनादेश संख्या-1/2015/602/सत्तर-4-2015-1212/2014, दिनांक 15.07.2015 द्वारा आंशिक संशोधन किया गया है। ठीक इसी प्रकार शासनादेश संख्या-2/2020/226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018, दिनांक 13.03.2020 द्वारा भी प्रश्नगत रिट याचिका में पारित आदेशों के समादार में महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में मानकों में संशोधन किया गया है।

2- वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत नवीन रोजगारपरक एवं क्षेत्रीय मांग को देखते हुए पाठ्यक्रमों का निर्धारण किये जाने पर बल दिया गया है। साथ ही ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु कोई मानक/दिशा-निर्देश निर्गत नहीं किये गये हैं।

3- अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समय की मांग को देखते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 04.02.2000 एवं शासनादेश दिनांक 15.07.2015 को अवक्रमित करते हुए सम्यक विचारोपरांत निम्नवत मानक निर्धारित किये जाते हैं:-

1. विश्वविद्यालय में मात्र ऐसे स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम ही प्रारम्भ किये जायेंगे, जो जनोपयोगी और रोजगारपरक हों तथा जिसमें विश्वविद्यालय की विशेषज्ञता हो।
2. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम का संचालन समय, बाजार की मांग और पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता एवं सामयिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये किया जाएगा।
3. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा, मूल्यांकन एवं अन्य क्रिया-कलाप सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों एवं निर्देशों के अधीन होंगे।
4. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सम्पूर्ण योजना तैयार की जाएगी, जिसमें अध्यादेश का प्रारूप प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम की रूपरेखा, निर्धारित मानकों के अनुरूप पदों की आवश्यकता, फर्नीचर, उपकरण, आय-व्ययक प्रबंधन आदि का उल्लेख हो।
5. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षक/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन शासन द्वारा नहीं किया जायेगा और इस हेतु कोई अनुदान भी स्वीकृत नहीं किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा शासन एवं यू०जी०सी०/ ए०आई०सी०टी०ई० आदि वैधानिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पदों का सृजन (संविदा पर) वित्त समिति एवं कार्य परिषद की स्वीकृति से किया जायेगा। पद सृजन की सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
6. पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या का निर्धारण विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाएगा।
7. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा पर की जायेगी। संविदा पर रखे गए अध्यापकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान वित्त समिति द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा। शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का चयन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973/ सम्बन्धित विश्वविद्यालय की परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ सम्बन्धित रेगुलेटरी संस्था/शासन द्वारा निर्धारित मानक/प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

8. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की संविदा अवधि 03 वर्ष होगी। प्रथम तीन वर्ष की संविदा समाप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा फिर से चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यरत शिक्षकों, जिनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित न हो, के नाम पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा और प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् उनकी संविदा को अगले तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जायेगा। संविदा पर नियुक्त किसी कर्मचारी का कार्य एवं आचरण संतोषप्रद न होने पर उन्हें किसी भी समय हटाया जा सकेगा। कोई भी प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।
9. शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
10. शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, चिकित्सीय अवकाश एवं अन्य अवकाश सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होंगे।
11. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कार्यकारी घण्टे एवं शिक्षक छात्र अनुपात परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बन्धित रेगुलेटरी संस्था/शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।
12. शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिफ्रेशर/ओरिएन्टेशन/वर्कशॉप/सेमीनार/ कान्फ्रेंस में प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।
13. शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख अन्य शर्तों के साथ अनुबन्ध-पत्र में किया जाय।
14. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम से होने वाली आय का लेखा-जोखा अलग रखा जाएगा। विश्वविद्यालय अपने बजट में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के आय-व्ययक को एक अलग मद के रूप में पृथक से प्रदर्शित करेंगे।
15. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में होने वाली आय का 75 प्रतिशत व्यय संविदा पर रखे गए शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संविदा की धनराशि (वेतन)/मानदेय तथा आकस्मिक व्यय मद में अनुमन्य होगा तथा 25 प्रतिशत विश्वविद्यालय के

- प्रशासनिक व्यय, भवन इत्यादि के रख-रखाव पर व्यय के उपयोग में लाया जायेगा।
16. स्ववित्तपोषित लेखों का संचालन एवं आहरण वितरण का कार्य वित्त अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
 17. इन पाठ्यक्रमों में 75 प्रतिशत कोर फैकल्टी तथा 25 प्रतिशत गेस्ट फैकल्टी होगी प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालयों के ख्याति प्राप्त शिक्षकों/रिसोर्स परसन्स को आमंत्रित किया जा सकता है। गेस्ट लेक्चरर्स/रिसोर्स परसन्स को वित्त समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर मानदेय देय होगा।
 18. शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय वेतन उस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष ऑडिट सम्पन्न कराकर ऑडिट आख्या में इस आशय का विशेष उल्लेख किया जाय कि आय का 75 प्रतिशत अंश शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जा रहा है।
 19. शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन कराया जायेगा।
 20. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम का संचालन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मानदेय दिया जायेगा। प्रस्तावित मानदेय का उल्लेख स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम की योजना में किया जायेगा। स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत पूर्व से सृजित पदों पर भी यह शासनादेश लागू होगा।
 21. इन पाठ्यक्रमों से होने वाली आय में से किसी भी प्रकार का मानदेय विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा।
 22. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों हेतु सी0पी0एफ0 व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाय। ऐसे संविदा शिक्षक जिस दिनांक से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उस तिथि/माह से सी0पी0एफ0 योजना लागू की जाय तथा प्रत्येक वर्ष सी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि की सालाना सूचना शासन को प्रेषित की जायेगी।
 23. राज्य विश्वविद्यालय में संचालित किसी स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या कम हो जाती है तो विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त ही ऐसे पाठ्यक्रम को बन्द किया जा सकता है।
 24. आनलाइन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु भी उक्त मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

25. सभी पाठ्यक्रम सम्बन्धित Regulatory Bodies द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूरा करते हों। केवल मान्यता प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रवेश लिया जाए। अगर छात्रों को डिग्री आधारित कोई असुविधा होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय का होगा।
- 4- उपरोक्त उल्लिखित व्यवस्थाओं को लागू करने के सम्बन्ध में राज्य विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमावली में तदनुसार आवश्यक संशोधन कर लिया जाएगा।
- 5- विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

Digitally signed by
NIDHI SRIVASTAVA
(निधि श्रीवास्तव)
Date: 09-10-2025
11:03:28
विशेष सचिव।

संख्या-75/2025/1066/सत्र-4-2025-70-4099/63/2025, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- कुलसचिव/वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
- 6- गार्ड फाइल।

Digitally signed by
आज्ञा से
RAM JANAM CHAUHAN
Date: 09-10-2025
(राम जन्म चौहान)
11:07:16
उप सचिव।